राष्ट्र हित में बिजली बचायें
SAVE ELECTRICITY IN THE INTEREST OF THE NATION

ISO 9001:2015

दूरभाष : 0121–2665734
फैक्स : 0121–2666062
E.Mail - pvvnlhq@gmail.com
CIN:U31200UP2003SGC027458

कार्यालय
Office of the
प्रबन्ध निदेशक
MANAGING DIRECTOR
पश्चिमाँचल विद्युत वितरण निगम लि0
Paschimanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd.
विक्टोरिया पार्क, मेरठ
Victoria Park, Meerut.

संख्याः 9361 /पविविनिलि/मे/मु/वाहन दर/2024–25 दिनांक : 19.12.2023

कार्यालय ज्ञाप

एतदद्वारा निगम कार्य हित में आदेशित किया जाता है कि वर्ष 2023–24 हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1292/प०वि०वि०नि०लि०/मु0/वाहन दर/दिनांक 16.02.2023 एवं संशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या 2016/प०वि०वि०नि०लि०/मु0/वाहन दर/दिनांक 14.03.2023 द्वारा हल्के डीजल चलित वाहनों को किराये पर रखने हेतु अनुमन्य दरों के तारतम्य में वर्ष 2024–25 (01.04.2024 से 31.03.2025 तक) हेतु, प्रबन्ध निदेशक महोदया, पविविनिलि मेरठ द्वारा प्राप्त अनुमोदनानुसार, पविविनिलि0 के अन्तर्गत तैनात अधिकारियों को उपलब्ध कराये जाने वाले हल्के डीजल चलित वाहन (चालक सहित) गतवर्ष निर्धारित की गई दरों/उपभोग सीमा के समान निम्नवत् दरों पर रखे जायेंगे :–

तालिका–क

क्र0 सं0	पद का नाम	वाहन अनुमन्य (डीजल चालित, वाहन चालक सहित)	उपभोग की प्रतिमाह अधिकतम सीमा	प्रतिमाह अधिकतम धनराशि (रु0 में) जी0एस0टी0 अतिरिक्त
1	मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता (वितरण/जानपद)	कार	–	26,000.00
2	अधीक्षण अभियन्ता (वितरण)	कार	शहरी–2500 किमी ग्रामीण–3000 किमी	25,000.00
3	अधीक्षण अभियन्ता (जानपद/कार्य/भण्डार/कार्यशाला)	कार	3000 किमी	25,000.00
4	अधिशासी अभियन्ता (वितरण/परीक्षण)	डीजल चालित वाहन	शहरी–1500 किमी ग्रामीण–2500 किमी	22,000.00
5	अधिशासी अभियन्ता (निर्माण/कार्यशाला/कार्य/जानपद/भण्डार)/आई.टी.	डीजल चालित वाहन	2500 किमी	22,000.00
6	उपविधि अधिकारी	डीजल चालित वाहन	2000 किमी	22,000.00
7	परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालयों में तैनात उपमुख्य लेखाधिकारी	डीजल चालित वाहन	2500 किमी	25,000.00
8	उपखण्ड अधिकारी (वितरण)	डीजल चालित वाहन	शहरी–1500 किमी ग्रामीण–2000 किमी	22,000.00
9	सहायक अभियन्ता (मीटर/कार्य/जानपद/कार्यशाला	डीजल चालित वाहन	शहरी–1500 किमी ग्रामीण–2000 किमी	22,000.00
10	सहायक अभियन्ता (निर्माण/आई0टी0)	मुख्यालय से बाहर स्थित प्रत्येक उपखण्ड को एक जीप, मुख्यालय स्तर पर स्थित दो उपखण्डों हेतु एक डीजल चालित वाहन, मुख्यालय पर स्थित तीन या उससे अधिक उपखण्डों के बीच दो डीजल चालित वाहन	2000 किमी	22,000.00

क्रमश पृष्ठ संख्या :02

तालिका ख

क्र0 सं0	पद का नाम	वाहन अनुमन्य	प्रतिमाह अधिकतम धनराशि (रू0 में) जी0एस0टी0 अतिरिक्त
1	अपर पुलिस अधीक्षक (प्रवर्तन) (प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ)	डीजल चालित वाहन	25,000
2	पुलिस उपाधीक्षक मेरठ परिक्षेत्र	डीजल चालित वाहन	25,000
3	पुलिस उपाधीक्षक मुरादाबाद परिक्षेत्र	डीजल चालित वाहन	25,000
4	पुलिस उपाधीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र	डीजल चालित वाहन	25,000
5	प०वि०वि०नि०लि० के अन्तर्गत जनपदों के समस्त पुलिस प्रवर्तन दल/एन्टी पावर थैफ्ट थाने	डीजल चालित वाहन	25,000

तालिका–क में वर्णित उपरोक्त अधिकारियों को वितीय वर्ष 2024–25 (01–04–2024 से 31–03–2025) के लिये, डीजल चालित, चालक सहित वाहन उपलब्ध कराने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमति प्रदान करने हेतु मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ताओं (वितरण/जानपद), अधीक्षण अभियन्ता (विद्युत कार्यशाला मण्डल), अधीक्षण अभियन्ता (भण्डार) एवं अधीक्षण अभियन्ता (विद्युत निर्माण एवं कार्य मण्डल), मेरठ को अधिकृत किया जाता है।

तालिका–ख में वर्णित अधिकारियों/पुलिस प्रवर्तन दलों को वितीय वर्ष 2024–25 (01–04–2024 से 31–03–2025) हेतु डीजल चालित, चालक सहित वाहन उपलब्ध कराने के लिये प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमति प्रदान करने हेतु सम्बन्धित मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ताओं (वितरण) को अधिकृत किया जाता है।

शर्ते एवं प्रतिबन्ध :–

1. उक्त समस्त वाहनों को किराये पर रखने की प्रक्रिया ई–टेण्डरिंग/जेम पोर्टल के माध्यम से की जायेगी।
2. उ0प्र0 पावर कारपोरेशन के आदेश संख्या 295 कार्य/14/पा0का0लि0/2003–3क/2000 दिनांक 27.02.03 द्वारा प्रदत्त प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकारो के अन्तर्गत उपरोक्त कार्य कराया जाये।
3. उपरोक्त वाहन मुख्य अभियन्ता स्तर के अधिकारियों को रू0 26,000.00 अधिकतम, अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारियों को रू० 25,000.00 अधिकतम, परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालयों में तैनात उपमुख्य लेखाधिकारी को रू० 25,000.00 अधिकतम तथा जीप हेतु अनुमन्य अधिकारियों के लिये रू0 22,000.00 अधिकतम प्रतिमाह के आधार पर वाहन चालक सहित किराये पर रखे जायेंगे तथा यह सुनिश्चित कर लें कि वाहन 3 वर्ष से अधिक पुराना न हो।
4. यदि कोई अधिकारी दोहरा कार्यभार वहन कर रहा है तो उन्हें केवल एक ही वाहन अनुमन्य होगा।
5. उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के कार्यालय आदेश 903– जी०ए०/पा०का०लि०–12/2002–5 (26) जी0ए0/72 दिनांक 22.06.02 के अनुसार जिन अधिकारियों को जीप आवंटित की जायेगी उनके वेतन से जीप के लिए रू0 400.00 प्रतिमाह प्रति जीप काटे जायेंगे तथा कार आवंटित पर रू0 500.00 प्रति कार प्रतिमाह काटे जायेंगे। इस सम्बन्ध में यदि अन्य कोई आदेश प्राप्त होता है, तो वह नियमानुसार लागू होगा।
6. उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के आदेश संख्या 1566 जी0ए0/रावि प्र0–12/97–5 (2) जी0ए0/97 दिनांक 31.05.97 के द्वारा निर्गत निर्देशों का पालन किराये पर रखे जाने वाले वाहन हेतु किया जायेगा।
7. वाहन चालक सहित किराये पर लिया जायेगा एवं वाहन तथा चालक की उपलब्धता 24 घण्टे रहेगी। ड्राइवर की नाइट शिफ्ट का कोई भुगतान अलग से नहीं किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित कर लें कि वाहन चालक को उचित मानदेय उपलब्ध हो जाये।
8. वाहन को प्रयोग करने वाले अधिकारी लाग–बुक मे नियमित रूप से प्रतिदिन प्रविष्टियाँ अंकित करेंगे तथा लाग बुक एकाउण्ट प्रतिमाह प्रेषित करेंगे।
9. ईंधन पर होने वाला व्यय निगम द्वारा वहन किया जायेगा।
10. गाड़ी खराब होने की स्थिति में फर्म का दायित्व होगा कि दूसरी गाड़ी 02 घंण्टे के अन्दर उपलब्ध करायेगी अन्यथा की स्थिति में फर्म पर रू० 200.00 प्रति घण्टे की दर से पेनाल्टी (जिस अवधि में गाड़ी उपलब्ध नही होगी) फर्म के बीजक से काटी जायेगी तथा उस दिन के वाहन के किराये का भुगतान भी नही किया जायेगा।

क्रमश पृष्ठ संख्या : 03

11. ड्राईवर की उपलब्धता 24 घण्टे रहेगी तथा ड्राईवर के अनुपस्थित होने की स्थिति में फर्म का दायित्व होगा कि दूसरे ड्राईवर को 02 घंण्टे के अन्दर उपलब्ध करायेगी अन्यथा की स्थिति में फर्म पर रु0 200.00 प्रति घण्टे की दर से पेनाल्टी (जिस अवधि में ड्राईवर उपलब्ध नहीं होगा) फर्म के बीजक से काटी जायेगी तथा उस दिन के वाहन के किराये का भुगतान भी नही किया जायेगा।
12. किराये पर लिए जाने वाले वाहनों का उपयोग केवल निगमीय कार्यों के निष्पादन हेतु ही किया जायेगा।
13. जिन अधिकारियों को आवंटित पुराने वाहन को निष्प्रयोज्य घोषित करके नीलाम नहीं किया गया है तथा धनराशि नहीं जमा करायी गई है, वहां किराये पर वाहन रखने हेतु प्रशासनिक/वित्तीय अनुमति तब तक प्रदान नहीं की जायेगी जब तक अप्रयोज्य वाहन की नीलामी के बाद धनराशि विभाग में जमा नहीं हो जायेगी। इसका पालन कराने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता का होगा।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या : 9361/पविविनिलि/मे/मु/वाहन दर/2024–25 दिनांक :19.12.2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

ई मेल द्वारा प्रेषित

1. प्रबन्ध निदेशक महोदया, प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ को सादर अवलोकनार्थ हेतु।
2. निदेशक (तकनीकी/वित्त/वाणिज्य/का०एवंप्रब०), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता, वितरण/जानपद अन्तर्गत प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
4. अधीक्षण अभियन्ता मुख्यालय/भण्डार/विद्युत कार्यशाला मण्डल/विद्युत निर्माण एवं कार्य मण्डल, प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता (वितरण) अन्तर्गत प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
6. समस्त अधिशासी अभियन्ता, अन्तर्गत प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
7. अपर पुलिस अधीक्षक (प्रवर्तन), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
8. कट फाईल।

अधीक्षण अभियन्ता (मुख्यालय)

अधीक्षण अभियन्ता (मुख्यालय)
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०
विक्टोरिया पार्क, मेरठ

मोबाईल : 9193320071
ई–मेल cecivilmrtpvvnl@gmail.com
CIN: 31200UPUP2003SGC027458

कार्यालय
मुख्य अभियन्ता (जानपद) वितरण
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0
विक्टोरिया पार्क, मेरठ–250001

पत्रांक 971 / मु0अ0जा0वि0 / मेरठ / वाहन   दिनांकः– 03-01-2024

विषयः–**वर्ष 2024–25 हेतु हल्के वाहन किराये पर रखे जाने हेतु अनुमति।**

अधीक्षण अभियन्ता,
विद्युत जानपद वितरण मण्डल,
मेरठ / गाजियाबाद।

उपरोक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ के कार्यालय ज्ञाप पत्रांक 9361 / प0वि0वि0नि0लि0 / मेरठ / मु0 / वाहन दर / 2024–25 दिनांक 19.12.2023 के अनुपालन में निम्नलिखित अधिकारियों को विभागीय कार्य हेतु वर्ष 2024–25 में कार / डीजल चालित वाहन मय ड्राइवर निगम नियमानुसार बाह्य एजेन्सी के माध्यम से रखने हेतु निम्न सुविधा अनुमन्य होगी।

क्र0सं0	पद का नाम	वाहन अनुमन्य (डीजल चालित, वाहन चालक सहित)	उपभोग की प्रतिमाह अधिकतम सीमा	प्रतिमाह धनराशि (रू0 में) (जी0एस0टी0 अतिरिक्त)
1	मुख्य अभियन्ता (जानपद), मेरठ	कार	—	26,000
2	अधीक्षण अभियन्ता (जानपद), मेरठ	कार	3000 किमी	25,000
3	अधीक्षण अभियन्ता (जानपद), गाजियाबाद	कार	3000 किमी	25,000
4	अधिशासी अभियन्ता (जानपद), मेरठ	डीजल चालित वाहन	2000 किमी	22,000
5	अधिशासी अभियन्ता (जानपद), गाजियाबाद	डीजल चालित वाहन	2000 किमी	22,000
6	उपखण्ड अधिकारी (जानपद–प्रथम), मेरठ	डीजल चालित वाहन	2000 किमी	22,000
7	उपखण्ड अधिकारी (जानपद), सहारनपुर	डीजल चालित वाहन	2000 किमी	22,000
8	उपखण्ड अधिकारी (जानपद), मुजफ्फरनगर	डीजल चालित वाहन	2000 किमी	22,000
9	उपखण्ड अधिकारी (जानपद), गाजियाबाद	डीजल चालित वाहन	2000 किमी	22,000
10	उपखण्ड अधिकारी, विद्युत जानपद वितरण उपखण्ड, नोएडा।	डीजल चालित वाहन	2000 किमी	22,000
11	उपखण्ड अधिकारी (जानपद), मुरादाबाद	डीजल चालित वाहन	2000 किमी	22,000
12	उपखण्ड अधिकारी (जानपद), बिजनौर	डीजल चालित वाहन	2000 किमी	22,000

प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ के कार्यालय ज्ञाप संख्या 9361 / प0वि0वि0नि0लि0 / मेरठ / मु0 / वाहन दर / 2024–25 दिनांक 19.12.2023 में दी गयी शेष शर्तें यथावत रहेगी।

संलग्नक–यथोपरि।

03/01/24
(मुनीन्द्र कुमार)
मुख्य अभियन्ता (जानपद)

पत्रांक 971 / मु0अ0जा0वि0 / मेरठ / वाहन   दिनांकः– 03-01-2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। संलग्नकों सहित।

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत जानपद वितरण खण्ड, मेरठ / गाजियाबाद।
2. उपखण्ड अधिकारी, विद्युत जानपद वितरण उपखण्ड, मेरठ / गाजियाबाद / मुरादाबाद / सहारनपुर / मुजफ्फरनगर / नोएडा / बिजनौर।

(मुनीन्द्र कुमार)
मुख्य अभियन्ता (जानपद)